| | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14/06/23 | पत्रावली आज पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील जवाबी द्वारा सह-खातेदारान की ~~सहमति~~ शपथ-पत्र पेश किये गये। सहमति शपथ-पत्र शामिल मिसल किये गये। वकील जवाबी के पत्रावली पर बहस सुनी गयी। आदेश/निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |
| | (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी | |

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 30/2022

**प्रार्थी**

1. जीवराजसिंह पुत्र भगवानसिंह
   जाति राजपूत निवासी डांगरिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**विप्रार्थीगण**

1. तहसीलदार, गुड़ामालानी
2. गणपतसिंह पुत्र पूरसिंह
3. धनसिंह पुत्र भगवानसिंह
4. रामसिंह पुत्र पूरसिंह
5. सजनकंवर पत्नी पूरसिंह
   जाति राजपूत निवासी डांगरिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक टीएजीबी शाखा धोरीमना

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थित :–**

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **प्रतिवादीगण – अनुपस्थित**

**–:: आदेश ::–**

दिनांक :– 15/6/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गांधवकला के राजस्व ग्राम डांगरिया में खेत खसरा नम्बर 105/1, 124, 217 रकबा क्रमशः 3.3670, 7.7133, 3.8364 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 185/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर की आयी हुई है। प्रार्थी के पिता भगवानासिंह के फौत होने पर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज करते वक्त राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवंश जीवराजसिंह की जगह प्रार्थी का नाम हरसिंह दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में जीवराजसिंह ही दर्ज है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरसिंह दर्ज कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी पैतृक खातेदारी भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे राजस्व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की दुरूस्ती कराने हेतु उक्त प्रार्थना प्रस्तुत आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2022 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। बाबजूद नोटिस तामील के अनुपरिथत रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 01 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 08 दिनांक 17.05.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 105/1, 217, 185/1 की जमाबन्दी 2078 में

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

खातेदार जीवराजसिंह का नाम हरसिंह पुत्र भगवानसिंह दर्ज है जो ग्राम डांगरिया के नामान्तरकरण संख्या 274 भगवानसिंह वल्द आसूसिंह के देहान्त होने पर दायर उत्तराधिकार के इंतकाल दिनांक 04.06.1986 को दर्ज रेकर्ड हुआ है। जबकि प्रार्थी जीवराज के दस्तावेज परिचय पत्र, भारत निर्वाचन आयोग, जन–आधारकार्ड, आधार कार्ड संख्या 831452467397 बैंक पासबुक SBI, परिवार राशन कार्ड, बैंक BCCB पासबुक, बिजली बिल, पैंशन PPO समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हरसिंह की बजाय जीवराजसिंह पुत्र भगवानसिंह कौम राजपूत साकिन डांगरिया दर्ज है, ग्रामीण भाषा एवं बोलेचाल में भी जीवराजसिंह के नाम से पुकारा जाता है, अतः समस्त दस्तावेजात से प्रमाणित हैकि नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त प्रार्थी का नाम सहीं जांच नहीं होकर गलत दर्ज किया गया है जिसे हरसिंह के बजाय जीवराजसिंह दर्ज किया जानाउचित है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता डालूराम चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरसिंह दर्ज है तथा परिवार कार्ड आधार, जनआधार कार्ड बैंक बैंक पासबुक आदि में जीवराजसिंह दर्ज है। समस्त रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में ''हरसिंह'' दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''जीवराजसिंह'' है। सहखातेदारान द्वारा भी शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में हरसिंह के स्थान पर जीवराजसिंह शुद्ध किये जाने की सहमति दी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में ''हरसिंह'' के स्थान पर ''जीवराजसिंह'' शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम डांगरिया में खेत खसरा नम्बर 105/1, 124, 217 रकबा क्रमशः 3.3670, 7.7133, 3.8364 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 185/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम ''हरसिंह'' के स्थान पर ''जीवराजसिंह'' शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 14/6/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रामजी भाई कलबी )
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) गुड़ामालानी